न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प लुणावा
पीठासीन अधिकारीः श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कालूराम पुत्र नेकारामजी जाति जणवा चौधरी साकिन लुणावा तहसील बाली		तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :– /2021

बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

<u>आदेश</u>

दिनॉक : 30.11.2021

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 666, 667, 1658, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 665, 668, 669 , 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 663, 664 कुल खसरा 43 कुल रकबा 25.4200 हैक्टर भूमि में स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रतिं प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम राजा/राजीया पुत्र गांगा** दर्ज हैं तथा अतः रेकर्ड को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी के पिता का **सही व वास्तविक नाम नेकाराम पुत्र गोंगाराम** करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 में दर्ज बतौर सह खातेदार प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम राजा/राजीया पुत्र गांगा दर्ज** हैं, जबकि प्रार्थी के पिता का **सही व वास्तविक नाम नेकाराम पुत्र गोंगाराम** प्रस्तुत दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लुणावा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 666, 667, 1658, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 665, 668, 669 , 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 663, 664 कुल खसरा 43 कुल रकबा 25.4200 हैक्टर भूमि में दर्ज प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम राजा/राजीया पुत्र गांगा** को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी के पिता का **सही व वास्तविक नाम नेकाराम पुत्र गोंगाराम** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष सभी इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
कैम्प : लुणावा

आदेश आज दिनॉक 30.11.2021 मजमें कैम्प लुणावा में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner